झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची,दिनांक–22.01..2019

मुख्यमंत्री ने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 2019-20 के लिए 85429 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया।

किसानों की समृद्धि के लिए 300 चेकडैम, 50 उद्वह सिंचाई योजना, 350 लघु सिंचाई योजना/बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य निर्धारित - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना के तहत राज्य के किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि दी जायेगी- मुख्यमंत्री

गांवों के लिए स्थानीय महत्व की छोटी-छोटी योजनाओं के लिए 120 करोड़- मुख्यमंत्री

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक- मुख्यमंत्री

रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक विवरणी इस गरिमामय सदन के पटल पर रखने हेतु खड़ा हूँ। सत्य और अहिंसा के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगाँठ के काल खण्ड में वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट उपस्थापित करने का अवसर पाकर धन्य हुआ। उस महामानव को शत्-शत् नमन। नमन भगवान बिरसा मुण्डा, सिद्धो-कान्हू, चांद, भैरव, वीर बुद्धु भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पाण्डेय गणपत राय, तिलका मांझी और शेख भिखारी जैसे अमर शहीदों को। धन्य है झारखण्ड की यह धरा जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री श्री दास मंगलवार को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान बोल रहे थे। श्री दास ने कहा कि राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 2019-20 के लिए 85429 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश कर रहा हूं जो राज्य के विकास में सहायक होगा।

अनुसूचित जातियों का विकास सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या काफी है। राज्य सरकार इनके कल्याण तथा विकास हेतु कृत संकल्प है। हमने जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24,410.06 करोड़ रुपये था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जा सकेगी।

2019-20 में कुल 1,50,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य श्री दास ने कहा कि राज्य में सभी आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीव्र गति से मकान बनाये जा रहे हैं। अब तक कुल 5,28,791 लक्ष्य के अंतर्गत 3,61,861 आवासों का निर्माण हो गया हैं। आवास के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से 5 किस्तों की जगह 3 किस्तों में सम्पूर्ण राशि देने का निर्णय लिया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना से छत बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 1,50,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। श्री दास ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर बाबा साहब अम्बेदकर आवास योजना राज्य सरकार अपनी निधि से चला रही है। विधवा मुखिया वाले परिवारों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों तथा परित्यक्ता महिलायें को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

राज्य के गांव मॉडल गांव बनें निस दिशा में हो रहा है कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए रूरबन मिशन योजना के साथ-साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना तथा आदर्श ग्राम योजना के तहत विभिन्न गाँवों को सभी विभागों की योजनाओं से आच्छादित करते हुए विकसित किया जा रहा है। राज्य के गाँवों में प्रचलित पारम्परिक शिल्प कला एवं कौशल को विकसित करने की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आजीविका संवर्द्धन योजना के नाम से एक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत सखी मंडलों की तर्ज पर पुरूषों के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा, ताकि उनकी आय में सतत् वृद्धि हो सके तथा परंपरागत शिल्प कला का भी संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा सकेगा।

विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन उत्थान हेतु योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि सखी मंडलों के गठन के क्रम में यह पाया गया कि विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं जीविका में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इन विशिष्ट जनजातीय परिवारों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना के नाम से नई योजना वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ की जा रहा है। इससे लगभग 10,000 परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

अटल ग्रामोत्थान योजना बनेगा मॉडल गांव बनाने में सहायक

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा महसूस किया गया है कि कई ऐसे जरूरी निर्माण कार्य हैं, जिन्हें अन्य किसी योजना से अब तक नहीं कराया जा सका है तथा भविष्य में भी नहीं कराया जा सकेगा। ऐसे कार्यों को कराने हेतु अटल ग्रामोत्थान योजना नामक नई योजना वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ की जायेगी, ताकि ऐसे मॉडल गाँव पूर्णरूपेण विकसित हो सके।

गांवों के लिए स्थानीय महत्व की छोटी-छोटी योजनाओं के लिए 120 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास में जन-जन की सहभागिता सुनिष्चित करने के लिए राज्य के सभी गाँवों में आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति को गाँवों के लिए स्थानीय महत्व की छोटी-छोटी योजनायें, जिनकी वर्तमान प्राक्कलित राशि 5 लाख रुपये तक की हो तथा क्रियान्वयन अवधि एक वर्ष से कम की हो, को क्रियान्वयन कराने का दायित्व दिया गया है। ये समितियाँ समुदाय संचालित लोक निगरानी एवं योजना क्रियान्वयन पद्धति को प्रोत्साहित करेंगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इन समितियों को 120 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी।